छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-18

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2012

(चैत्र-13, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 01 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि -

दिनांक 30 मार्च, 2012 को रात्रि 8.00 बजे विधान सभा सचिव के माध्यम से मुझे उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि रिट पिटीशन क्रमांक 590/12 को ग्राह्य करने अथवा इंटरिम रिलीफ पर अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाये अन्यथा याचिका एक तरफा निर्णित की जायेगी।

याचिका राजस्थान पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा रायपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र **पत्रिका** के पत्रकारों को छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा सभा की पत्रकार दीर्घा के लिए जारी किये गये प्रवेश पत्रों को निरस्त करने संबंधी मेरी व्यवस्था दिनांक 24 मार्च, 2012 को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई है।

इस सभा एवं आसंदी में विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की या व्यवस्था बनाये रखने की शक्तियां निहित हैं तथा यह न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है।

मैं यहां पर संविधान के अनुच्छेद 212 को उल्लेखित करना चाहूंगा -

"212 न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जॉच न किया जाना-

(1) राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य के विधान मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।"

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में याचिका का प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करते हुए, मैं विधि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय उच्च न्यायालय को संवैधानिक स्थिति और सभा की प्रक्रिया से अवगत करायें।

मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है और हम उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2011-2012 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 11-3/06/आया./40, दिनांक 24 नवबंर, 2011,

पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजीत जोगी,(अनुपस्थित), डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने बिलासपुर जिले के पेण्ड्रारोड थाना के पास एक व्यक्ति से रूपये लूटकर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री फूलचंद सिंह, सदस्य ने भरतपुर-सोनाहट विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत भरतपुर के गांवों में विद्युत कटौती होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री भजन सिंह निरंकारी

(3) श्री राजकमल सिंघानिया

(4) डॉ.शिवकुमार डहरिया

(5) श्री गुरुमुख सिंह होरा

(6) श्री मोहम्मद अकबर

(7) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.शक्राजीत नायक एवं श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधेयक के माध्यम से क्या-क्या प्रावधान किये जा रहे हैं, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का आग्रह किया गया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आज दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को सायं 7.00 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिर्पोटर, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम एवं सायं 6.30 बजे विधानसभा के नवनिर्मित खेल प्रशाल का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों से होगा। इस अवसर पर संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सौजन्य से सांस्कृतिक संध्या - लाफ्टर शो एवं रात्रि भोज का आयोजन है।

अपराह्न 1.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 3 अप्रैल, 2012 (चैत्र 14, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा